

सूचि 14 फारम संख्या-562

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज
अभिलेख संख्या - ३५/१६-२

३५

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

12/५/१६

श्री रमन राजा पिता सुराण चंद्र राजा
ग्राम रामपुरा अंचल देवरी जिला
गिरिडीह द्वारा निम्नांकित व्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु
आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री भासी गहलो
पिता सुराण चंद्र राजा ग्राम रामपुरा
अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या ५७३
दिनांक २०.०१.१० के द्वारा क्रय किया गया है।
ग्राम थाना न० खाता न० प्लॉट न० रकवा
रामपुरा २४९ १९ १३६ १८५/१०

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच
हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच
प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक ३१६/१६ को उपस्थापित करें।

हाजारी अंचल की २९/५/१६
कार्रवाई के पास दो पंजीयन ५२५८ जून १९१८ की तारीख
कार्रवाई के पास दो पंजीयन ५२५८ जून १९१८ की तारीख
कार्रवाई के पास दो पंजीयन ५२५८ जून १९१८ की तारीख

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

८/६/१६
३०/५/१६

अंगारा अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरुआ खास / रैयती / बकास्त / खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलूम संख्या १ के पृष्ठ संख्या २९

पर विकेता का नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर क्रेता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति रमन राना पिता/माति रमन पितृराना ग्राम रवन्नुपुरा के नाम रवन्नुपुरा किया जाता है।

ग्राम	थाना न०	प्लॉट न०	रकवा	माल
<u>रवन्नुपुरा</u>	२४७	१३६	१७ $\frac{1}{2}$ एकड़ी	२०५२।।

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।